न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी खोरीमहुआ (गिरिडीह)

वाद सं० 58/2017

विजय किशोर महतो वगैरह-बनाम-दुखी यादव वगैरह

धारा 145 दं० प्र० सं०

आदेश पत्रक

12-8-17

अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी लोकाय-नयनपुर थाना से प्राप्त प्रतिवेदन पर दोनो पक्षों को सुनवायी करते हुए शांति-व्यवस्था भंग होने की संभावना को दृष्टिपथ पर रखते हुए प्रश्नगत भूमि पर दं० प्र० सं० की धारा 145 के तहत उभय पक्ष के लिए निषेधाज्ञा लगायी गयी तथा कारण-पृच्छा की मांग की गयी।

विवादित भूमि निम्न है :—

मौजा	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	चौहदी
लोकाय	06	396	12 डी०	उ०—द्वितीय पक्ष के दुखी महतो का घर। द०—रोहन साव पिता-धानु साव का घर। पु०—पक्की सड़क। प०—प्रथम पक्ष के श्याम सुन्दर महतो वगैरह।

उभय पक्षों के द्वारा कारण-पृच्छा तथा संलग्न कागजात समर्पित किये गये।

प्रथम पक्ष के द्वारा निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत किये गये।

1. सादा हुकुमनामा का छाया प्रति — 01 पन्ना।
2. बाजीदावा डिड नं० 2222 दिनांक 28-12-1967 का छाया प्रतियाँ — 05 पन्ने।
3. डिड नं० 13945 दिनांक 28-5-1972 का छाया प्रतियां 03 पन्ने।
4. डिड नं० 15168 दिनांक 11-7-68 का छाया प्रतियाँ — 02 पन्ने।
5. लगान रसीद की छाया प्रति- 01 पन्ना।

उक्त कागजात के संदर्भ में प्रथम पक्ष का कहना—

P.T.O.

Scanned with CamScanner

है कि जमीन गुरु सहाय हजाम की थी जिन्हे वर्ष 1936 में सादा हुकुमनामा से प्राप्त हुई थी। गुरुसहाय हजाम के द्वारा दिनांक 28-12-67 ई० को बाजी दावा नं० 2222 से बन्धु साव एवं भुपाल साव को दे दिया गया। उसके बाद बन्धु साव एवं भुपाल साव के द्वारा 25 डी० जमीन केवाला नं० 15168 दिनांक 11-7-68 ई० को कलिया देवी पति- भोला महतो के पास विक्रय कर दिया गया। जिसका मुटेशन होकर रसीद निर्गत है। फिर उसके बाद कलिया देवी पति-भोला महतो के द्वारा केवाला नं० 13945 दिनांक 28-5-72 ई० को 12 डी० जमीन विजय किशोर महतो के पास विक्रय किया गया, जिसका मुटेशन होकर अंचल अधिकारी बिसरी अंचल से लगान रसीद निर्गत है।

धारा 145 दं० प्र० सं० के तहत वाद सं० 369/79 में पक्षकार भोला महतो - बनाम - झरी हजाम है। कलिया देवी भोला महतो की पत्नी है जिसमें कलिया देवी को पक्षकार नही बनाया गया है। धारा 145 के कार्यवाही के पहले ही भूमि खरीदी गयी है।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि भोला महतो की खतियानी जमीन है प्रमिला देवी भोला महतो की पुत्री है जो पक्षकार है। यदि प्रमिला देवी के पिता भोलामहतो जिन्दा थे तो कलिया देवी जमीन विक्रय करने के लिए अधिकृत नही थी।

द्वितीय पक्ष के द्वारा निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत किये गये है।

1. खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति - 02 पन्ने
2. न्यायालय कार्यपालक दण्डाधिकारी गिरिडीह के वाद सं० 369/1979 भोला महतो - बनाम - झरी हजाम वगैरह धारा 145 दं० प्र० सं० के तहत आदेश पत्र की सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रतियाँ - 28 पन्ने।

लगातार —

Scanned with CamScanner

3. लगान रसीद की छाया प्रतियाँ - 02 पन्ने।

अभिलेख का अवलोकन किया। दोनो पक्षों के द्वारा भूमि पर दावा करते है प्रासंगिक भूमि के संदर्भ में न्यायालय कार्यपालक दण्डाधिकारी गिरिडीह के न्यायालय से धारा 145 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत वाद सं० 361/1971 प्रथम पक्ष - भोला महतो - बनाम - द्वितीय पक्ष झरी हजाम वगैरह उल्लेखनीय है, जिसके आदेश दिनांक 20-7-1987 पृष्ठ 58 पर प्रश्नगत भूमि खाता नं० 06 खेसरा नं० 396 रकवा 12 डी० भी शामिल है, मे प्रथम पक्ष भोला महतो के पक्ष में भूमि पर दखल पॉजिशन के संबंध में आदेश पारित है जो इस प्रश्नगत वाद में द्वितीय पक्ष के प्रमिला देवी के पिता लगते है। उक्त वाद में भले ही वर्तमान प्रथम पक्ष शामिल नही थे लेकिन यदि उन्होंने वर्ष 1972 में ही जमीन क्रय कर लिया था तो आदेश पारित वर्ष 1987 तक में उन्हे जानकर पता होना चाहिए था और पक्षकार बनना चाहिए था। और इससे वर्ष 1987 में भूमि पर भोला महतो के दखल होने का पूर्व न्यायालय का आदेश कमजोर नही होता।

मामला स्वत्व का प्रतीत होता है, जिसका निर्णय माननीय सक्षम न्यायालय मे संभव है।

लगायी गयी निषेधाज्ञा की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए इसवाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

अनु० दण्डा०

अनुमण्डल पदाधिकारी
खोरीमहुआ।